195

दिनांक–16.12.2025 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दक्षिण बिहार के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् है:–
   (1) श्रीमती प्रीति तोंगरिया, विशेष सचिव
   (2) श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   (3) श्री नजर हुसैन, अपर सचिव
   (4) श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी। दक्षिण बिहार के सभी जिलों के जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का निदेश दिया गया। जो DPRO या ACEO बिना पूर्वानुमति के अनुपस्थित है, उनसे स्पष्टीकरण किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः–प्रशाखा–01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये:–

I. पंचायत सरकार भवन के हस्तांतरण तथा क्रियाशीलता की अद्यतन स्थितिः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक–01.10.2025 को ग्राम पंचायत द्वारा 54 LAEO के द्वारा 146 एवं भवन निर्माण विभाग के द्वारा 133 निर्मित पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया था, परन्तु उसका हस्तांतरण कर क्रियाशील करने की प्रगति असंतोषजनक है। सभी DPRO को निदेशित किया गया कि निर्माण एजेंसी से समन्वय कर विधिवत ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करते हुए पंचायत सरकार भवनों को क्रियाशील करना सुनिश्चित किया जाए।

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कराये जाने वाले 1069 पंचायतों सरकार भवनों के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दक्षिण बिहार के कुल 363 स्वीकृत पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 21 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है। इस पर चिन्ता व्यक्त की गयी है। इस संबंध में सभी DPRO को निदेश दिया गया कि तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता, LAEO से प्राक्कलन तैयार कर सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति एवं जिला पदाधिकारी से व्यय की स्वीकृति का प्राप्त कर 15 दिनों के अन्दर कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें। सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी के स्तर पर होने वाले जिला समन्वय समिति की बैठक में इसे एजेंडा के रूप में शामिल करें।

कृ०पृ०उ०.......

(अनुपालनः—दक्षिण बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी)

II. 15वीं वित्त आयोग/षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं के निम्न भुगतान की अद्यतन स्थितिः—

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः—

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	24.59%
02	पंचायत समिति	53.37%
03	ग्राम पंचायत	62.59%

नालन्दा, औरंगाबाद, बक्सर, जहानाबाद, नवादा, गया जी एवं मुंगेर जिलें में जिला परिषद् द्वारा व्यय की गयी राशि की स्थिति दयनीय है। जिला परिषद्, नालन्दा के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से व्यय की दयनीय स्थिति के बारे में पूछने पर उनके द्वारा दिया गया जवाब असंतोषजनक पाया गया। प्रतीत होता है कि उनके द्वारा विभागीय कार्यों में अभिरूची नहीं ली जा रही है। प्रशाखा—01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया गया कि जिला परिषद्, नालन्दा के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा जाए कि क्यों नहीं आपके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) षष्ठ्म राज्य वित्त आयोगः—

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का व्यय प्रतिशत निम्न्वत हैः—

षष्ठ्म राज्य वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	26.14%
02	पंचायत समिति	54.24%
03	ग्राम पंचायत	59.61%

नवादा, मुंगेर, पटना, नालन्दा, जहानाबाद एवं गया जी जिले में जिला परिषद् द्वारा व्यय की गयी राशि की स्थिति दयनीय है। सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद् को निदेश दिया गया कि व्यय की गयी राशि की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

लगातार......

903

(अनुपालनः— दक्षिण बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा—01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

III. लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन :—

(क) दक्षिण बिहार के सभी जिलों के लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र की समीक्षा की गयी एवं सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया अपने स्तर से अपने जिले के लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र की समीक्षा कर उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का समायोजन कराने की दिशा में कार्रवाई करेंगे।

वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा पंचायती राज विभाग को माहवार लगभग 12 हजार करोड़ रूपये का उपयोगिता प्रमाण—पत्र समर्पित करने का लक्ष्य दिया गया है। जिसके अनुरूप विभाग के द्वारा सभी जिलों का लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों की राशि का सप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निदेश दिया गया कि सभी DPRO/ACEO अपने स्तर से विस्तृत समीक्षा कर तथा विशेष कैम्प आयोजित कर दिनांक—31.01.2026 तक लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्रों का समायोजन करवायें। जिन जिलों में स्वीकृति आदेश एवं आवंटन आदेश की समस्या आ रही है वें विभाग के UC Cell से सम्पर्क कर उपलब्ध दस्तावेज प्राप्त करना सुनिश्चित करें। Pre CFMS के लंबित उपयोगिता प्रमाण—पत्र को जनवरी, 2026 तक समर्पित करने का निदेश वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त है जिसके अनुरूप सभी जिले कैम्प मोड में उपयोगिता प्रमाण—पत्र बनाकर विभाग को समर्पित करें।

पटना, गया जी, रोहतास, भागलपुर एवं बक्सर जिलों द्वारा निर्धारित साप्ताहिक लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक—01.12.2025 से 15.12.2025 तक कोई भी उपयोगिता प्रमाण—पत्र समर्पित नहीं किया गया है। प्रतीत होता है कि उक्त जिलों के DPRO द्वारा बार—बार निदेशित किये जाने के वाबजूद भी विभागीय कार्यों में रूची नहीं ली जा रही है। प्रशाखा—01, पंचायती राज विभाग को निदेश दिया गया कि इन सभी जिलों के DPRO से स्पष्टीकरण पूछा जाए कि क्यों नहीं उनके विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को संसूचित की जाय।

(ख) लंबित ए0सी0/डी0सी0 विपत्र की जिलावार अद्यतन स्थिति :— समीक्षा के क्रम में पाया गया कि रोहतास, पटना, बक्सर, मुंगेर, नवादा एवं भागलपुर जिलो में लंबित डी0सी0 विपत्र की राशि अधिक है। निदेश दिया गया कि अपने—अपने जिलें का लंबित डी0सी0 विपत्रों की राशि का समायोजन कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करें। Pre CFMS के लंबित ए0सी0/डी0सी0 विपत्र को दिसम्बर, 2025 तक समर्पित करने का निदेश वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त है जिसके अनुरूप सभी जिले कैम्प मोड में ए0सी0/डी0सी0 विपत्र बनाकर विभाग को समर्पित करें।

(अनुपालनः—दक्षिण बिहार के सभी जिलों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रशाखा—01, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना)

लगातार...........

992

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 496 / पं०रा० पटना, दिनांक 13/1/2026
प्रतिलिपिः–दक्षिण बिहार के सभी जिला पदाधिकारी / सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी / सभी अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 496 / पं०रा० पटना, दिनांक 13/1/2026
प्रतिलिपिः–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव / विशेष सचिव के आशुलिपिक / निदेशक के आशुलिपिक / अपर सचिव / सभी प्रभारी पदाधिकारी / सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः–9प० / विविध–01–247 / 2023 / 496 / पं०रा० पटना, दिनांक 13/1/2026
प्रतिलिपिः–आई0टी0मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को भेजते हुए निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र सभी संबंधितों को ई–मेल करते हुए विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(शम्स जावेद अंसारी)
संयुक्त सचिव